Naidunia (Indore), 30th November 2025, Page-03

जीपीओ कार्यालय पर इकट्ठा हुए शहर के पशुप्रेमी

आइआइटी व मेडिकल विद्यार्थियों ने स्ट्रीट डाग्स के लिए सुप्रीम कोर्ट को लिखा पत्र

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल-कालेज, अस्पताल और बस स्टैंड सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों से स्ट्रीट डाग्स को हटाने को लेकर आदेश दिया है।

इस आदेश के खिलाफ शनिवार को इंदौर से दो हजार से ज्यादा लेटर पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भेजी गई। स्ट्रीट डाग्स को नहीं हटाए जाने को लेकर शैक्षणिक कालेज के विद्यार्थी आगे आए हैं, जिसमें आइआइटी इंदौर और एमजीएम मेडिकल कालेज में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं ने भी पत्र भेजे हैं। शनिवार को जीपीओ कार्यालय पर शहर के पशुप्रेमी इकट्ठा हुए। उन्होंने जीपीओ के अलावा अन्य पोस्ट आफिस से भी यह पिटीशन भेजी गई हैं।

सामाजिक कार्यकर्ता भावना जादौन ने बताया कि शैक्षणिक संस्थानों के अलावा आटोमोबाइल शोरूम में कार्यरत कर्मचारी, रहवासियों ने लेटर भेजे हैं। दिनभर में दो हजार से ज्यादा लेटर इंदौर से पोस्ट हुए हैं। वे कहते हैं कि लेटर पोस्ट करने के बाद एनिमल राइट्स की वेबसाइट पर पशुप्रेमी अपनी रजिस्टर्ड एड्रेस की स्लिप भी अपलोड कर रहे हैं। यह आंदोलन देशभर में एक साथ चलाया जा रहा है।

जीपीओ पर स्ट्रीट डाग्स के समर्थन में पशु प्रेमियों ने भी भेजे पत्र। • नईदुनिया

बोर्ड को चार सप्ताह का समय दिया

सामाजिक कार्यकर्ता प्रियांशु जैन ने कहा कि इंदौर में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का भी ठीक से पालन नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रीट डाग्स को शेल्टर में रखने के लिए एनिमल वेलफेयर बोर्ड से स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसिजर बनाने को कहा है, जिसके लिए एनिमल वेलफेयर बोर्ड को चार सप्ताह का समय दिया है। अब तक शेल्टर तैयार नहीं हुई है, लेकिन इसके बाद भी डाग्स को उठाया जा रहा है।

स्त्रियों
स्वास्
शी
सी
• पेडू का द
• रक्त की